

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

ख वाद सं०.....

73/2016-17

का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

थि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
1.4.24	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विषेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>व. म. म. म.</u> थाना नं० <u>299</u> खाता सं० <u>22</u> प्लॉट सं० <u>55</u> रकबा <u>0.06</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं० <u>94/4</u> पर जमाबंदी रैयत <u>ज. म. म. म.</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>15.4.2024</u> को उपस्थापित करें। 1.4.24 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

15.4.21

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त । मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित लिखित
उपस्थित हुए । इनके द्वारा अपने पक्ष में कामगार को पेटु/गद/बिग/मग

.....समर्पित किया गया है । इस संबंध में संबंधित
राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के
अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन
समर्पित करें ।

अभिलेख, दिनांक 30.4.24 को उपस्थापित करें ।

15.4.21
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर ।

30.4.21

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । संबंधित
राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि
मौजा वमज मौजा नं० 299 खाता सं० 22 प्लॉट सं० 55
रकबा 0.06 किस्म पट्टा/कट्टा खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक
खाते की भूमि है । मांगधारी रैयत को उक्त भूमि अंक/कम/बाल/22/मि/55/24/10/06/08/01/2016

92/4 पट्टा/कम/बाल/22/मि/55/24/10/06/08/01/2016
24/10/22/गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि मांगधारी को 30.4.21 दिनांक 24/10/22

.....तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप
से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है । लगान
रसीद वर्ष.....तक निर्गत है ।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के
आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में
कायम जमाबंदी सं०.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि
सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें ।
लेखापित एवं संशोधित ।

30.4.21
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर ।

30.4.21
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर ।

न३/२०१६-१७

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लारु, दक्षिण

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
नारायण महल	वसुंजी	299	22	55	0.06	अंतराज्यीय प्राधिकार पंजीकृत	पंजीकृत
श्री भदूर महल							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पंजीकृत

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मियों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अचल अधिकारी

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) चाखिल-खारिज / भू-उपस्थापन / भामांतरण पंजी से :-

पलामू में
पंजी 2

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

नहीं

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन भूमि क्र. मोंडा - 22, प्लॉट - 55 बरकुरा - 0.06
क्र. का मोंडा प्लॉट सं. 42/4 4C नारायण मल्ली, पिता - मल्ली मल्ली के नाम
से कायम है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कोलम में "केशव 16/10/82
दर्ज है। भूमि भूमि (प्लॉट - 22) जैमजयका मालिक था, की है। मोंडा
कायम का शुभ अस्पष्ट विवरण नहीं है जिससे यह मोंडा अवैध नहीं होता
है। अतः अग्रोहर कारवाही हेतु संभव है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व अभिलेख द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन
का जाँच किया, कहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने
की अनुशंसा किया जा सकता है।

अ अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि-सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर।	अनुमंडल पदा, छत्तरपुर।	अपर समाहर्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- नारायण महता, पिता- भदुत महता
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 4 पृष्ठ सं. 12 पर कायम।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
बन 06	299	22	55	0.06 ए०

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- दब वही है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गोरमजरा मास्कि
5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- N/A
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :- N/A

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
- मालूम पंजी-2 से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	160555	20.6.14	2013-14
2	059084	01.12.15	2015-16

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 73 / 204/17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम नारायण प्रहलाद फलार भदई प्रहलाद

गाँव बगैरी थाना नं० 51

जिला पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा बगैरी थाना नं०.....
खाता सं० 22 खेसरा नं० 55 रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 17 के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 5/3/24 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी
उत्तरपुर।